

3/10/25

200 साठ की आज्ञा से  
प्रभावनी पेश हुई, कार्य सं. 1 व 2 अधिनियम आये व  
कताया कि वादकर्ता धूमि पर लेचान कर दिया है,  
वाद नवी चलाना चाहते हैं। अधिनियम एवं विज्ञ के  
अन्तर्गत विधे अतः कार्य के निवेदन अगुआर वाद  
विज्ञो विधा जाता है। प्रभावनी फंसल सुभाए लेका  
नेका दे काम ले।

सहायक जज एव

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

कुशाश्रित  
मागीकाल

